

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/01/09 (खण्ड VII)/ 1077
SPMCIL/VIG/01/09 (Vol. VII/

दिनांक 21.05.2014
Date: 21.05.2014

२२

परिपत्र/Circular

विषय/Sub: सतर्कता विभाग को तुरंत एवं समय पर विवरण/जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही।/ Prompt and timely action on furnishing of details/reply to the Vigilance Department.

विभिन्न अनुस्मारकों के बावजूद भी यह देखा गया है कि कुछ इकाइयों द्वारा अभी भी सतर्कता विभाग को तुरंत एवं समय पर विवरण/जवाब प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। इसके निपटारे में अनुचित देरी सतर्कता कोण के दायरे में आता है।

It has been observed that in spite of various reminders, some of the units are still not furnishing requisite details/reply to the Vigilance Department. Undue delay in disposal of the same falls under the ambit of Vigilance angle.

2. उपरोक्त के संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि सतर्कता विभाग को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/जवाब की कार्यवाही को तुरंत एवं समय पर करना सुनिश्चित करें।

2. In view of above, all concerned are hereby advised to ensure prompt and timely action on furnishing of details/reply to the Vigilance Department.

3. सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

3. These guidelines may be noted & followed by all for strict compliance. If these guidelines continue to be flouted in future it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite a vigilance angle.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - /-Contd. at Page 2 -



भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/01/09 (खण्ड VII)/1077
SPMCIL/VIG/01/09 (Vol. VII)

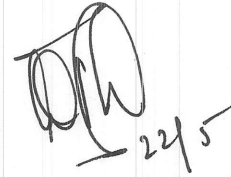
दिनांक 21.05.2014
Date: 21.05.2014
२२

- 2 -

4. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

4. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

संलग्न/Encl: यथोपरि।/As above.



(एस. के. झा, भा.पु.से.)/(S. K. JHA, IPS)

मुख्य सतर्कता अधिकारी/CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL.

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (वित्त)।/Addl. GM (Finance).
4. सभी उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ./DGMs (CHO)/Dy. CVO.
5. सभी प्रबंधक (नि.मु.)/Managers (CHO).
5. सभी सतर्कता अधिकारी (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
6. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.